"शीर्ष प्राथमिकता / तत्काल
संख्या–348 / 65–3 2017–07 / 2017

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अपर आयुक्त,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उ0प्र0।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 01 जुलाई-2017

विषय:–दिव्यांगजन की समस्याओं के निदान तथा उनसे प्राप्त शिकायतों एवं प्रत्यावेदनों का समयबद्ध निस्तारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विकलांगों के आर्थिक उत्थान पुनर्वास एवं सेवायोजन संबंधी समस्याओं के निदान के लिए उद्योगबन्धु के समान एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–192 / 65–1–95–18(3) / 95, दिनांक 19–12–1995 द्वारा तत्समय जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में **"जिला दिव्यांगजन बन्धु"** का गठन किया गया, जिसमें जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को संयोजक / सचिव बनाते हुए जनपद स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सदस्य नामित किया गया।

2– उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19–12–1995 में यह निर्देश दिये गये कि "जिला दिव्यांगजन बन्धु" की बैठक महीने में एक बार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होंगी, जिसमें सभी अधिकारी भाग लेंगे एवं दिव्यांगजन की समस्याओं का निदान इस बैठक के माध्यम से करेंगे। यह भी निर्देश दिये गये कि इस समिति द्वारा लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी संबंधित विभागों से सम्पर्क करके सुनिश्चित करेंगे तथा आगामी बैठक में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3– इसी प्रकार निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं संबंधित दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–4582 / दो–1–2003–19 / 1(17) / 2003, **दिनांक 16–08–2003** द्वारा आयुक्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उत्तर प्रदेश के अधीन विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को **"पदेन अपर आयुक्त, दिव्यांगजन"** नियुक्त किया गया। इसी क्रम में आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उ0प्र0 के पत्र संख्या–690–936 / 2836 / अ0नि0ज0 / 2003–04, **दिनांक 20–10–2003** द्वारा सभी जिलाधिकारियों / अपर आयुक्तों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे दिव्यांगजन की समस्याओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर प्रत्येक बुधवार को उक्त अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई तथा शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करायेंगे। इस जिम्मेदारी के निर्वहन में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी उन्हें सचिवालीय सहयोग प्रदान करेंगे। जिलाधिकारियों / अपर आयुक्तों से यह भी अपेक्षा की गयी कि किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान वे तिथियों का निर्धारण दिव्यांगजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उनसे परामर्श के आधार पर किया करेंगे ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

4– आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उ0प्र0 के उक्त पत्र में यह भी निर्देश दिये गये कि सामान्य तौर पर दिव्यांगजन से शिकायत / प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर ...

अदर संबंधित अधिकारी/विभाग को पत्र अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाय तथा उन्हें 02 सप्ताह का समय अपना उत्तर देने के लिए प्रदान किया जाय। यदि इस अवधि में उनका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाय। तत्पश्चात यदि आवश्यक हो तो एक पक्षीय सुनवाई की जाय एवं न्यायसंगत निर्णय लिया जाय। यदि मामले में किसी अधिकारी की सुनवाई आवश्यक हो तो वह भी शिकायत प्राप्त होने के 45 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से कर ली जाय। आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण के उक्त पत्र दिनांक 20-10-2003 द्वारा सभी अपर आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण को यह निर्देश भी दिये गये हैं कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अनिवार्य रूप से 90 दिन के अंदर कर लिया जाय। यदि किसी मामले का निस्तारण 90 दिन के अंदर नहीं होता है तो उसे तत्काल आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण को संदर्भित किया जाय, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों का उल्लेख हो, जिनके कारण शिकायती पत्र का निस्तारण सम्भव नहीं हो सका है। तत्पश्चात् उस मामले का निस्तारण दिव्यांगजन सशक्तीकरण आयुक्त स्वयं करेंगे अथवा अपर आयुक्त को आवश्यक निर्देश देंगे। सभी अपर आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अपना प्रतिवेदन आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

5- प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला दिव्यांगजन बन्धु की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं और अपर आयुक्त के रूप में उनके द्वारा दिव्यांगजन की समस्याओं से संबंधित शिकायती पत्रों पर सुनवाई एवं उनका निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण शासन स्तर/मा0 मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर पर दिव्यांगजन से संबंधित अनेक शिकायती पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में उच्च स्तर से गम्भीर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। शासन द्वारा इसे अत्यन्त ही गम्भीरता से लिया गया है।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जिला दिव्यांगजन बन्धु की बैठकें प्रत्येक माह में एक बार अवश्य आयोजित कराने का कष्ट करें तथा बैठक की आख्या निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उत्तर प्रदेश एवं शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही पदेन अपर आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण की हैसियत से दिव्यांगजन से प्राप्त शिकायतों/प्रत्यावेदनों पर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित सुनवाई करते हुए उनका निस्तारण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा निर्धारित प्रारूप पर प्रतिवेदन आयुक्त, दिव्यांगजन को निर्धारित तिथि को अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या-348(1)/65-3-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1-आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3-निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
4-समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
संयुक्त सचिव।